आर.ई.ओ.–45

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर–342 003 फोन नं. 0291 2651337 (का) 2651389(नि) फेक्स नं० 2741870
जयपुर फोन नं. 0141 2740121 (का) 2651312 (नि) फेक्स नं. 2740121

क्रमांकः– अप्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अ.नु-पीपीएम/पत्रा० ______ /प्रे०सं० 1921 जोधपुर, दिनांक 15.1.03

आदेश

विषयः– कृषि कनेक्शन के बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा/नियमन दिनांक 31 जनवरी,2003 तक ।

— — — — —

निगम द्वारा जनहित में कृषि के उपभोक्ताओं द्वारा बढ़े हुए लोड की स्वैच्छिक घोषणा करने हेतु इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर आदेश जारी किये गये हैं । अकाल की स्थिति को देखते हुये जनहित में यह निर्णय लिया गया हैं कि अब इस योजना को पुनः लागू की जाती हैं तथा स्वैच्छिक घोषणा 31 जनवरी, 2003 तक बढ़ाई जाती हैं ।

अतः अब जो कृषक अपने बढ़े हुये लोड की स्वंय घोषणा करेगा उसे मात्र रूपये 750/– (सात सौ पचास) प्रति हार्स पॉवर (जिसमें सर्विस कनेक्शन चार्जेज शामिल हैं) घोषणा के साथ जमा कराने होगें । आवश्यक होने पर नई 11 के.वी. लाईन एवं सब–स्टेशन का खर्चा निगम वहन करेगा ।

यह राहत दिनांक 31 जनवरी, 2003 तक आवेदन करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को प्रदान की जायेगी । इस दौरान विजिलेंस चैकिंग होने पर तथा अधिक लोड पाये जाने पर भी मात्र रूपये 750/– (सात सौ पचास) प्रति हार्स पॉवर (जिसमें सर्विस कनेक्शन चार्जेज शामिल हैं) जमा करवाने होगें व बढ़ा हुआ भार नियमन किया जायेगा । 31 जनवरी, 2003 के पश्चात् विजिलेंस चैकिंग के दौरान अधिक लोड पाये जाने पर बढ़े हुये लोड के लिये रूपये 3450/– प्रति हार्स पावर (रूपये 2000/–प्रति हार्स पॉवर कम्पनसेंसन चार्जेज तथा रूपये 1450/– प्रति हार्स पॉवर ट्रांसफॉर्मर चार्जेज) एवं सम्पूर्ण लाईन चार्जेज उपभोक्ता से लिये जायेंगे तथा साथ ही फ्लेट से मीटर प्रणाली का विद्युत दर लागू की जायेगी ।

आदेश संख्या क्रमांकःजोविविनिलि/अअ/पीपीएम/फा–सामान्य शाखा/प्रे–579 दिनांक 14.06.2002 (आर.ई.ओ.–17) के तहत् कार्यवाही इस दौरान भी लागू रहेगी ।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

(एच०एस०देवड़ा)
उपमुख्य अभियन्ता(मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।